



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, सुरत- II
Central Excise, Customs & Service Tax Commissionerate, Surat-II
नयाकेंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, गाँधीबाग के सामने, चौकबाजार, सुरत-३६५ ००१
New Central Excise Building, Nr. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat-395 001



IN TERMS OF THE OFFICE MEMORANDUM NO. 11013/3/2009-ESTT.(A) DATED 02.02.2009 REGARDING CONSTITUTION OF A **COMPLAINTS COMMITTEE TO ENQUIRE INTO COMPLAINTS OF SEXUAL HARASSMENT** ISSUED BY THE GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS(DOPT), SURAT-II COMMISSIONERATE HAVE THE SAME COMMITTEE AND FEMALE OFFICERS AND STAFFS ARE REQUESTED THAT THEY MAY CONTACT THE ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V) OR ANY MEMBER AS PER THE LIST ATTACHED FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES, IF ANY.

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन (डीओपीटी) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/3/2009-स्था.(ए), दिनांक 2009/02/02 के आलोक में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की पृच्छताछ से सम्बंधित एक शिकायत समिति सुरत-II आयुक्तालय में है और महिला अधिकारियों और कर्मचारीयों से अनुरोध है कि वे अपर आयुक्त (का. व. स.) या संलग्न सूची के किसी भी सदस्य से, सम्बंधित शिकायतों के निवारण लिए संपर्क कर सकते हैं।